

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

—: अधिसूचना :-

सं0सं0-03/NULM-07/2021

701

दिनांक-23/06/21

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा DAY-NULM योजनान्तर्गत फुटपाथ विक्रेताओं को COVID-19 से उत्पन्न महामारी में जीविका को सुरक्षित करने हेतु PM SVANidhi योजना क्रियान्वित है। इसके अन्तर्गत राज्य के सात नगर निगमों (यथा पटना, गया, बिहारशरीफ, भागलपुर, पूर्णिया पूर्वी, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा) में योजना से लाभान्वित फुटपाथ विक्रेताओं का Socio-Economic Profiling किया जाना है। कार्य की गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) की मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य स्तर पर एक कमिटी का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	पद
1.	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव/सचिव/नामित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्युन स्तर के न हों) वित्त विभाग।	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव/नामित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्युन स्तर के न हों) समाज कल्याण विभाग।	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव/नामित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्युन स्तर के न हों) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव/नामित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्युन स्तर के न हों) श्रम संसाधन विभाग।	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव/नामित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्युन स्तर के न हों) स्वास्थ्य विभाग।	सदस्य
7.	राज्य मिशन निदेशक, DAY-NULM	संयोजक

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्य के राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अरविन्द कुमार झा),
संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक-23/06/21

ज्ञापांक-03/NULM-07/2021

701

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/श्रम संसाधन विभाग/स्वास्थ्य विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/राज्य मिशन निदेशक, DAY-NULM/ टीम लीडर PMC-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक।
23/06/21